



# NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.  
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 74 /NCRES/20

Date : 28 .4.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी  
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :- CMLR वर्कशाप, झांसी में रीस्ट्रक्चरिंग का लाभ न दिया जाना।  
संदर्भ :- NCRES का पत्र दिनांक 26.8.2019 व 30.12.2019

महोदय,


NCRES ने पत्र दिनांक 30.12.2019 और मिलकर कई बार अवगत कराया है कि CMLR के कर्मचारियों से जूनियर को पेरेन्ट रेलवे में प्रमोशन का लाभ दिया जा चुका है, इसपर आपने ऐसे केसेज की सूची मांगा और आश्वासन दिया कि पेरेन्ट रेलवे से रिपोर्ट मंगाकर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी। NCRES ने अपने पत्र दिनांक 30.12.2019 द्वारा सूची भेजा लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त NCRES ने पत्र लिखकर एवं वार्ता कर आपसे बताया कि दिनांक 3.12.2018 को CMLR झांसी का कैंडर क्लोज किये जाने के बाद भी रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RBE 116/2016 के अनुसार CMLR के कर्मचारियों को रीस्ट्रक्चरिंग का लाभ नहीं दिया गया। NCRES को यह भी अवगत कराना है कि CMLR नया यूनिट होने के कारण CMLR झांसी में रीस्ट्रक्चरिंग लागू करने के लिये मैचिंग सेविंग की गुंजाइश नहीं है।

इस सम्बन्ध में कर्मचारियों के असंतोष को देखते हुये CWM/JHS ने भी रीस्ट्रक्चरिंग लागू करने के लिये हेडक्वार्टर से दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त स्थिति में NCRES का अनुरोध है कि -

- (1) जिन कर्मचारियों के जूनियर को पेरेन्ट रेलवे में प्रमोशन का लाभ मिल चुका है, उन्हें अविलम्ब प्रमोशन का लाभ दिया जाय।
- (2) RBE No. 116/2016 के अनुसार CMLR के कर्मचारियों को दिनांक 1.9.2016 से रीस्ट्रक्चरिंग का लाभ देने के लिये CWM को उचित दिशा-निर्देश जारी किया जाय।

  
(आर. पी. सिंह)  
महामंत्री